

निवेश प्रस्ताव जल्द उतरेंगे धरातल पर

राष्ट्र लखनऊ : यूपीजीआइएस-23 की सफलता के बाद अब प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी सरकार के स्तर से शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में होने के आसार हैं, जिसमें लगभग 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य साधा गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन में दुनिया भर के निवेशकों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उपस्थित रह सकते हैं।

10 से 12 फरवरी के मध्य राजधानी लखनऊ में यूपीजीआइएस का आयोजन किया गया था, जिसमें देश और दुनियाभर के निवेशकों के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री शामिल हुए थे। इस आयोजन के माध्यम से योगी सरकार को 33.50 लाख करोड़ के निवेश

तैयारी



- अगस्त में जीआइएस की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आसार
- पीएम समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को किया जाएगा आमंत्रित

प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अब इन निवेश प्रस्तावों और एमओयू को अमली जामा पहनाने के लिए ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए जगह की तलाश भी शुरू कर दी है। संभावना है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह आयोजित हो सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति मिलने के बाद ही आयोजन स्थल की पुष्टि की जाएगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ऐसे सभी निवेशक जो तत्काल

मंत्रियों की जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ मंत्रियों को निवेश को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही हर एमओयू की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हर विभाग में एक इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के गठन का भी एलान किया था, जिसकी जवाबदेही सचिव स्तर के अधिकारी को दी गई है। विदेशी निवेशकों की सहायता के लिए एक काल सेंटर का संचालन जल्द ही शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अपने निवेश प्रस्तावों और एमओयू को धरातल पर उतारने को तैयार हैं, उन्हें मंच प्रदान किया जाएगा। निवेशकों से चर्चा शुरू कर दी गई है और जल्द ही इनके नामों पर मुहर लगेगी। परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता के लिए सभी विकास प्राधिकरणों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।